

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

श्री नरेश कुमार, व्याख्याता (रसायन विज्ञान) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजलिया, नागौर जिनकी जन्मतिथि: 27.02.1977 हैं, का निधन दिनांक 03.11.2019 को हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 03.11.2019 से इनकी सेवाएँ समाप्त की जाती हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री नरेश कुमार, व्याख्याता (रसायन विज्ञान) के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

(निथमल डिल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/सेवासमाप्ति/2019-20/५६ दिनांक:- ०३।१२।१९

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, पैशन एवं पैशन वेलफेर विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, नागौर।
4. कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजलिया, नागौर।
5. आश्रित स्व. श्री नरेश कुमार, व्याख्याता-रसायन विज्ञान।
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

— कार्यालय आदेश —

श्री सुरेखा लौहार, व्याख्याता (जीव विज्ञान) राजकीय महारावल उच्च माध्यमिक विद्यालय, ढूंगरपुर जिनकी जन्मतिथि 17.11.1970 है, का निधन दिनांक 02.10.2019 को हो जाने के कलश्वरूप दिनांक 02.10.2019 से इनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री सुरेखा लौहार, व्याख्याता (जीव विज्ञान) के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

(निथमल भोले)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/सेवासमाप्ति/2019-20/५५ दिनांक:- ०३-१२-१९

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेर विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, ढूंगरपुर।
4. कार्यालय राजकीय महारावल उच्च माध्यमिक विद्यालय, ढूंगरपुर।
5. आश्रित स्व. श्री सुरेखा लौहार, व्याख्याता (जीव विज्ञान)
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. अनुभाग अधिकारी दरिष्टता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग।
8. निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय आदेश

प्रारूप-6

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के समुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवर्षित की आयु पूरी कर लेने पर नाम के समुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है –

क्रसं	नाम मय पदस्थापन स्थान राउमायि	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	रमाकान्त शर्मा, श्योपुर – सांगानेर – जयपुर	09-03-1960	31.03.2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक –

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

(निथमल डिले)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : 02/12/19

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/2017-18
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अप्रेषित –

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4. संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को सेवानिवृत्त करने से पूर्व उपरोक्त प्रमाणिकरण की भलिमांति जांच करें।
5. संबंधित कार्मिक
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

✓ संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर



आदेश

इस कार्यालय के सेवानिवृति आदेश समसंख्यक दिनांक 13.02.2019 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

क्रम	नाम व्याख्याता श्री/ श्रीमती/ सुश्री	पद एवं पदस्थापन स्थान राजमार्ग/ राबाउमार्ग	संशोधन
01	सत्यभामा त्रिपाठी	व्याख्याता—इतिहास राबाउमार्ग पीलीबंगा हनुमानगढ़	क्रम संख्या 177 पर कॉलम संख्या 02 नाम सत्यभामा के स्थान पर सत्यभामा त्रिपाठी संशोधित पढ़ा जावें।

आदेश की शेष शर्त मूल आदेशानुसार रहेगी।

का १०१-५७

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक—शिविरा—माध्य/ संस्था/ सी—2/ सेनि/ इति—वाणि/ 31853/ 2019—20 दिनांक— 03.12.2019
प्रतिलिपि:—प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक—माध्यमिक,
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)स्कूल शिक्षा/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 सम्बन्धित संस्था/ प्रधानाचार्य/ सम्बन्धित व्याख्याता
- 7 रक्षित पत्रावली

का १२१-५७

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर